

राजस्थान सरकार
निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर
बीमा भवन, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(ए)/104/पदो./प्रशा. अधि. 2022-23/संस्था/बीमा/

दिनांक : 31.08.2022

आदेश 347

प्रशासनिक अधिकारी की वर्ष 2022-23 की रिक्तियों के विरुद्ध दिनांक 31.08.2022 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पे बैंड 9300-34800 (पी.बी.2) (ग्रेड-पे-4800) (Level-12 in Pay Matrix) में पदोन्नत किया जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	वर्ग	चयन वर्ष	पद रिक्ति दिनांक	वर्तमान पदस्थापन	पदोन्नति पर नवीन पदस्थापन	विशेष विवरण
1.	श्री सुनील कुमार जैन पुत्र श्री उमरावमल	-	2022-23	01.04.2022	उदयपुर शहर	उदयपुर शहर	अनुभव में 1 वर्ष की शिथिलता से.नि. 31.08.2022
2.	श्री महेश चन्द्र शर्मा	-	2022-23	01.04.2022	नागौर	अजमेर संभाग	अनुभव में 1 वर्ष की शिथिलता
3.	श्री विनोद कुमार माहेश्वरी	-	2022-23	01.04.2022	अजमेर	जयपुर शहर	अनुभव में 1 वर्ष की शिथिलता से.नि. 30.09.2022
4.	श्री सुरेश खत्री	-	2022-23	01.04.2022	जोधपुर शहर	जोधपुर शहर	अनुभव में 1 वर्ष की शिथिलता से.नि. 30.11.2022
5.	श्री सत्यनारायण पंवार	अजा	2022-23	01.04.2022	बीकानेर	बीकानेर संभाग	अनुभव में 1 वर्ष की शिथिलता

सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

(Handwritten Signature)
31.8.22

(डॉ. बी. सी. बख्त)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ.1(ए)/104/पदो./प्रशा. अधि. 2022-23/संस्था/बीमा/7290-7349 दिनांक : 31.08.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय), शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
5. वरि.अति./अति./संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, संभाग/समस्त जिला कार्यालय/मुख्यालय/साबीयो को भेजकर लेख है कि उक्त कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए नवपदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण किये जाने हेतु निर्देश प्रदान करावें।

6. सिस्टम एनालिस्ट/एनालिस्ट कम प्रोग्रामर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त आदेश को विभाग की वेब साइट <http://sipf.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करावें।
7. सम्बन्धित अधिकारीगण।
8. केडर स्ट्रेन्थ लिपिक/वरिष्ठता निर्धारक लिपिक।
9. सम्बन्धित सेवा पुस्तिका लिपिक/निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

Sau. 21/08/22
(सौम्या शर्मा)

संयुक्त निदेशक (संस्थापन)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।